राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

(E mail : socialaudit_raj@yahoo.com, socialaudit.raj@gmail.com, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ. 61(64)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./इ.आ.यो./2015–16/2926-36 जयपुर, दिनांकः23.12.16

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक
समस्त।

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण एवं स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन तथा Geo Tagged फोटो अपलोड करने के क्रम में।

संदर्भः– इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ. 61(64) /म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./इ.आ.यो./2015–16/2661 दिनांक 02.11.2016 एवं 2690 दिनांक 24.11.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" के साथ–साथ ही आयोजित किये जाने हेतु जिले में सामाजिक अंकेक्षण कार्य का कलैण्डर जारी कर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन एवं Geo Tagged, time Stamped Photo आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराये जाने का कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था। योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 19.12.2016 को हुई कार्यशाला में हुए विचार–विमर्शानुसार इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन कार्य को सुचारू रूप से दिनांक 31.03.17 तक पूर्ण करने हेतु दिनांक 19.12.16 को आयोजित कार्यशाला में हुये विचार विर्मश अनुसार निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 61(24)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./सा.अके.कलै./2015–16/2712–92 दिनांक 02.12.2016 हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 द्वितीय छःमाही के सामाजिक अंकेक्षण के साथ इंदिरा आवास योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–
    1. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण कार्य अलग–अलग दलो से करवाया जावे।
    2. इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण के साथ भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जाना है तथा शत–प्रतिशत आवासो का Geo Tagged फोटो आवास सॉफ्ट पर अपलोड का कार्य भी सम्पादित किया जाना है।
    3. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कलैण्डर इस प्रकार बनाया जावे कि जिससे संबंधित ग्राम पंचायत में निरीक्षण/भौतिक सत्यापन का कार्य एक साथ पूर्ण किया जाकर एक ही ग्राम सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। यदि महात्मा गांधी नरेगा योजना की ग्राम सभा के साथ इन्दिरा आवास

योजना की सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्टस प्रस्तुत नही की जा सके तो उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर के दौरान पढ कर सुनाया जावे।

2. **आवासो पर बीपीएल नम्बर लिखवाना:--** इंदिरा आवास योजना सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन के पूर्व उन सभी आवासो पर लाभार्थी के बीपीएल क्रमांक पेन्ट से लिखवाया जाना सुनिश्चित किया जावे जिन पर बीपीएल कमांक अंकित नही है। इसके लिये पंचायत समिति स्तर पर दरें निर्धारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्य को 10 जनवरी, 2017 तक पूर्ण करवाने की व्यवस्था करवायी जावे।

3. इंदिरा आवास योजना सामाजिक अंकेक्षण / भौतिक् सत्यापन दल का गठन :-

1. सामाजिक अंकेक्षण / भौतिक सत्यापन दल में निम्नानुसार 2 सदस्य होगें
   1) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति – एक
   2) ग्राम संसाधन व्यक्ति – एक
2. ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का नही होना चाहिए जिसका सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के चयन में उन व्यक्तियों को लिया जाये जिसने पास स्मार्ट फोन हो तथा जिन्हें फोटो लेने का अनुभव हो।
3. सामाजिक अंकेक्षण दलों की संख्या ग्राम पंचायत में स्वीकृत आवासों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
4. ब्लॉक संसाधन व्यक्ति का चयन महात्मा गांधी नरेगा योजना/इन्दिरा आवास योजना के वर्ष 2016–17 की प्रथम छः माही के सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयनित/पैनल में से किया जाना है, यदि किसी जिले में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की पूर्व में चयनित सूची से अधिक की आवश्यकता है तो सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय के पूर्व पत्र कमांक 14148–96 दिनांक 29.03.2016 के निर्देशानुसार और चयन कर लिया जावे।

3. सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु कलैण्डर जारी करना :-

1. सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन दलों का गठन किया जाकर पंचायतवार पंचायत समिति स्तर से एक कलैण्डर जारी किया जावे।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कलैण्डर इस प्रकार बनाया जावे कि जिससे संबंधित ग्राम पंचायत में निरीक्षण/भौतिक सत्यापन का कार्य एकसाथ पूर्ण किया जाकर एक ही ग्राम सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
3. कलैण्डर के साथ सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार सूचना भिजवाई जावे।

क.स	ग्राम पंचायत का नाम	सदस्य का नाम	पद	मोबाईल न0	सम्बन्धित आवास सहायक/टैग अधिकारी का नाम व मोबाईल न0

4. **सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन दलों को प्रशिक्षण :-**

1. सामाजिक अंकेक्षण दलों का पंचायत समिति स्तर एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा।
2. प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से राज्य स्तर प्रशिक्षित अधिकारीयों एवं आवास योजना के जिला स्तरीय/पंचायत समिति स्तरीय प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

3. प्रशिक्षण का समस्त व्यय इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि में से किया जायेगा।

5. **सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट :–**

1. सामजिक अंकेक्षण दल द्वारा संलग्न निर्धारित प्रपत्र 1 में प्रत्येक आवास के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिस पर दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर होगें तथा इन रिपोट्‌र्स को ग्राम सभा में पढ़ कर सुनाया जावे।
2. शिविर के दौरान रिपोर्ट पर कोई आक्षेप/आपत्ति किसी लाभार्थी द्वारा उठाई जाती है तो उसे पंचायत की कार्यवाही में सम्मिलित किया जावे। हो सके तो उनका वही पर निराकरण किया जावे। आपत्तियों एवं निराकरण का इन्द्राज भी रिपोर्टस में किया जावे।
3. सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा आवास की Geo Tagged फोटो के साथ रिपोर्ट भी आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जावेगी।
4. प्रपत्र 1 के बिन्दु संख्या 13 तक की सभी सूचनायें ग्राम पंचायत स्तर/पंचायत समिति स्तर पर पूर्ण कर सामाजिक अकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जावे।
5. सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा रिपोर्ट की मूल प्रति पंचायत समिति पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी को दी जायेगी तथा पंचायत समिति स्तर पर रिकॉर्ड में रखी जायेगी।

6. **सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की रिपोर्ट :–**

1. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिन आवासों के सम्बन्ध में अनियमितता पाई गई है उनकी सारांश की रिपोर्ट प्रपत्र–2 में पंचायत समितिवार तैयार की जाकर जिला प्रभारी अधिकारी के माध्यम से निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को भिजवाई जावे।
2. अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर 15 दिवस आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जाकर निदेशालय को अवगत कराया जावे।

7. **सामाजिक अंकेक्षण दल को मानदेय :–**

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्ति – 325 रूपये प्रति कार्यदिवस
2. ग्राम संसाधन व्यक्ति – 225 रूपये प्रति कार्यदिवस
3. मानदेय का भुगतान इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत उपलब्ध सामाजिक अंकेक्षण राशि (मद) से किया जायेगा।

8. **सामाजिक अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन की मॉनीटिरिंग :–**

1. सामाजिक अंकेक्षण दलों को पंचायत स्तर/पंचायत समिति स्तर से आवश्यक सभी सूचनायें /रिकॉर्ड कार्य प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराया जावेगा।
2. ग्राम पंचायत में निर्मित सभी आवासों का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित पंचायत के आवास सहायक/टैग अधिकारी एवं ग्राम सेवक (सचिव) की होगी।
3. पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों को पंचायत समिति की पंचायतों की संख्या के अनुसार जॉच दलों का प्रभारी अधिकारी बनाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगे।
   - i. सामाजिक अंकेक्षण दल के सभी सदस्यों का निर्धारित कलैण्डर अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ करवाना।
   - ii. समय पर कार्य पूर्ण करवाना।
   - iii. Geo Tagged फोटो एवं रिपोर्टस आवास सॉफ्ट पर अपलोड करवाना।
   - iv. समय– समय पर आकस्मिक निरिक्षण करना
   - v. पंचायत समिति के सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन के सम्पूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग एवं समय पर पूर्ण करावने की जिम्मेवारी सम्बन्धित विकास अधिकरी एवं योजना प्रभारी अधिकारी की होगी।

4 जिले के सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन के सम्पूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग एवं समय पर पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं योजना प्रभारी अधिकारी की होगी।

5. सामाजिक अंकेक्षण एवं आवासो के भौतिक सत्यापन का कार्य 31 मार्च 2017 तक पूर्ण करवाया जाना सभी स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

Sd/-

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ. 61(64)/म.न./ग्रावि./नि.सा.अं./इ.आ.यो./2015–16/2925-36 जयपुर, दिनांकः 23/12/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि विभाग अनुभाग –5 को प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त।
10 विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

निदेशक,
सामाजिक अंकेक्षण

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिला ....

पंचायत समिति का नाम ....

ग्राम पंचायत का नाम ....गांव का नाम...............................

1. लाभार्थी की पंजीकरण संख्या ....
2. नाम लाभार्थी स्वीकृति के अनुसार ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. बीपीएल में सम्मिलित है अथवा नही ....
5. बीपीएल क्रमांक ....
6. बीपीएल मुखिया का नाम ....
7. स्वीकृत वर्ष ....
8. स्वीकृत राशि ....
9. आवास सॉफ्ट के अनुसार जारी राशि ....
10. लाभार्थी द्वारा अब तक प्राप्त की गई राशि ....
11. प्रथम किश्त राशि ....प्राप्त/नही ....
12. द्वितीय किश्त राशि ....प्राप्त/नही ....
13. तृतीय किश्त राशि ....प्राप्त/नही ....
14. द्वितीय/तृतीय किश्त जारी नही होने का कारण ....

    ....

    ....
15. स्वीकृत पूर्ण राशि मिली है या नहीं (यदि नही तो पूर्ण कारण अंकित करें) ....

    ....

16. क्या लाभार्थी द्वारा किसी बैंक से ऋण लिया गया है (यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करें)...........

....

17. आवास की वर्तमान स्थिति ....

18. आवास निर्माणो की क्वालिटी ....

19. राशि का पूर्ण उपयोग हुआ अथवा नही (यदि नही तो पूर्ण कारण अंकित करें) ....

....

20. राशि का दुरूपयोग किया गया है ? ....(यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करें) ....

....

21. शौचालय का निर्माण हां/नहीं ....

22. योजना का प्रतीक चिन्ह लगा है या नहीं ....

23. आवास का उपयोग निवास हेतु किया जा रहा है या नहीं

24. लाभार्थी को आवास निर्माण के संबंध में अन्य किसी प्रकार की समस्या हो तो ....

....

25. विशेष टिप्पणी

हस्ताक्षर व नाम	**हस्ताक्षर व नाम**
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	**ग्राम संसाधन व्यक्ति**
सामाजिक अंकेक्षण	**इंदिरा आवास योजना**

<u>प्रभारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रतिहस्ताक्षर</u>

....

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी

इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन के दौरान/ग्राम सभाओं में पाई गयी अनियमितताओं की सूचना का सारांश

पंचायत समिति का नाम ....

ग्राम पंचायत का नाम ....

क्र0 स0	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी की पंजीकरण संख्या	अनियमितता का विवरण	अनियमितता की राशि	अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	सा0 अंके0 के दौरान समाधान का विवरण		बकाया प्रकरण		बकाया प्रकरणों के समाधान हेतु तय की गई समय सीमा	समस्या के समाधान के लिए नोडल अधिकारी	विशेष विवरण
								स्थिति	राशि			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी

पंचायत समिति ....